



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05122025-268243
CG-DL-W-05122025-268243

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 43] नई दिल्ली, नवम्बर 23—नवम्बर 29, 2025, शनिवार/अग्रहायण 2—अग्रहायण 8, 1947
No. 43] NEW DELHI, NOVEMBER 23—NOVEMBER 29, 2025, SATURDAY/ AGRAHAYANA 2—AGRAHAYANA 8, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

सा.का.नि. 184.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथपठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स (समूह 'ग' के योद्धक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध नायब सूबेदार (भेषजज्ञ) के पद से है, और असम राइफल्स (समूह 'ख' योद्धक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, असम राइफल्स में सूबेदार मेजर(भेषजज्ञ),सूबेदार(भेषजज्ञ) और नायब सूबेदार(भेषजज्ञ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर(भेषजज्ञ),सूबेदार(भेषजज्ञ) और नायब सूबेदार (भेषजज्ञ)समूह 'ख' पद, भर्ती नियम 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना— ये नियमइननियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे सलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि. —उक्तपदोंपरभर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. निरर्हता. —वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. अधिवर्षिता. —(1)इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस मास की अंतिम तारीख को जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है के अपरान्ह या केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथाविहित, सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु वह व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी मास के पहले दिन को है, वह उस मास के से पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन को सेवानिवृत्त होगा।

(2)किसी भी व्यक्ति को उपनियम (1)में यथाविनिर्दिष्ट अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त की विहित आयु से परे सेवा में विस्तार की अवधि अनुदत्त नहीं की जाएगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध में से किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ)।	02*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अनुसूचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8, (47,600-1,51,100)।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती के किए जाने व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	पुनर्नियुक्ति अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष।
भर्ती की पद्धति— भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।		
(10)	(11)		
(अ) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति द्वारा;	प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति द्वारा		
(ब) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियुक्ति द्वारा (सशस्त्र बलों के कार्मिकों हेतु)	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी, क. (i) जिन्होंने विभाग के मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सद्दश पद धारण किए हुए हो, या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44,900-1,42,400) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो;		

	ख. जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भेषजी में स्नातक डिग्री। (ii) सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: विभागीय सूबेदार (भेषजज्ञ) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों, पर बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा और जिनकी चिकित्सा श्रेणी शेष-1 होगी और बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित प्रोन्नति पूर्वव्यूनतम मंदो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हित हो। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	भूतपूर्व सैनिक/पुनर्नियोजन:—सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या आरक्षित में स्थानांतरित होने वाले और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं, के नाम पर भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। यदि चयनित हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिसपर उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है उसके पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जाए। ये अभ्यर्थी चिकित्सा प्रवर्ग-I में होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।

(12)

समूह 'ख' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर (कार्मिक), असम राइफलस | — अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल (अभिलेख), असम राइफलस | —सदस्य; |
| 3. | स्टाफ ऑफिसर (चिकित्सा/स्वास्थ्य), असम राइफलस
थजनका रैंक कमाण्डेंट या लेफ्टिनेंट कर्नल का हो | —सदस्य; |
| 4. | स्टाफ ऑफिसर-1 (प्रशासन), असम राइफलस | —सदस्य; |
| 5. | डिप्टी कमाण्डेंट या मेजर पद का एक अधिकारी | —सदस्य। |

भर्ती करने में किन परिस्थिति में संघलोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सूबेदार (भेषजज्ञ)।	01*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7, (44,900-1,42,400)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा : असम राइफल्स के नायब सूबेदार (भेषजज्ञ) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (35400-112400) में श्रेणी में नियमित पांच वर्षों की सेवा की हो। चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 हो, और असम राइफल्स द्वारा यथाविहित प्रोन्नति पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रतासेवा पूरी करली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी करली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी क. (i) जिन्होंने विभाग के मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो। (ii) जिन्होंने मूलकाडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35,400-1,12,400) या समतुल्य में पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांचवर्ष की नियमित सेवा की हो। ख. जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो, (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भेषजी में स्नातक डिग्री। (ii) सुसंगत क्षेत्र में दोवर्षअनुभव।
	टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	
(12)	
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
1. अपर महानिदेशक असम राइफल्स	— अध्यक्ष;
2. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स	— सदस्य;
3. कर्नल चिकित्सा, असम राइफल्स	— सदस्य;
4. स्टाफ ऑफिसर-1 (चिकित्सा), असम राइफल्स	— सदस्य;
5. मेजर/डिप्टी कमांडेंट स्तर का एक अधिकारी	— सदस्य

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नायब सूबेदार (भेषजज्ञ)।	02*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवासमूह 'ख' अननुसचिवीय, अराजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, (35,400-1,12,400)	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: असम राइफल्स के सदस्यों में से वारंट अफसर (भेषजज्ञ) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्समें स्तर-5 (29,200-92,300) में श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 होनी चाहिए और बल द्वारा समय-समय परविहित या प्रोन्नतिपूर्व न्यूनतम दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हित हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी करली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करली हो।

(12)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर महानिदेशक असम राइफल्स — अध्यक्ष; 2. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स —सदस्य; 3. लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का स्टाफ ऑफिसर-1 (प्रशासन), असम राइफल्स —सदस्य ; 4. चिकित्सा से कमाण्डेंट/सेकेण्ड-इन-कमाण्ड पद का एक अधिकारी —सदस्य; 5. असम राइफल्स के ऐसे दो अधिकारी जिनका पद सूबेदार, (स्तर-7) रैंक से कम न हो, जिनमें एक अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जनजाति का हो। —सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. ब्रिगेडियर (कार्मिक), असम राइफल्स — अध्यक्ष; 2. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स —सदस्य; 3. लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का स्टाफ ऑफिसर-1 (प्रशासन), असम राइफल्स —सदस्य; 4. चिकित्सा से कमाण्डेंट/सेकेण्ड-इन-कमाण्ड पद का एक अधिकारी —सदस्य; 5. असम राइफल्स के ऐसे दो अधिकारी जिनका पद सूबेदार, स्तर-7 (44900-142400) रैंक से कम न हो, जिनमें एक अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जनजाति का हो। —सदस्य।
(13)
लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए/पर्स/आरआरएस/समूह 'ख'/फार्मा/2017]

आर जोसेस वशुम, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 6th May, 2025

G.S.R. 184.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act 2006 (47 of 2006) and in supersession of the Assam Rifles (Group 'C' combatised posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as it relates to the post of Naib Subedar (Pharmacist); and the Assam Rifles (Group 'B' combatised posts) Recruitment Rules, 2001, in so far as they related to the post of Subedar Major (Pharmacist), Subedar (Pharmacist), except as respects to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Subedar Major (Pharmacist), Subedar (Pharmacist) and Naib Subedar (Pharmacist), in the Assam Rifles in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Assam Rifles, Subedar Major (Pharmacist), Subedar (Pharmacist) and Naib Subedar (Pharmacist), Group 'B' Posts, Recruitment Rules 2025..

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** - These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Scheduled annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** – The number of the said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Superannuation.**-(1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first day of the month, shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation as specified in sub-rule (1).

7. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Subedar Major (Pharmacist).	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non -Gazetted Non - Ministerial	Level-8 in the pay matrix (47600-151100).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for re-employed.	(i) Fifty per cent. by deputation or promotion; and (ii) Fifty per cent. by deputation or re-employment (For Armed Forces personnel).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.

(11)

By deputation or promotion:

Officer of the Central Government or State Governments, -

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department: or

(ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department: and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -

(i) Bachelor degree in Pharmacy from a recognised university and recognised institute;

(ii) two years' experience in relevant field.

Note 1.-The departmental Subedar (Pharmacist) in level-7 in the pay matrix (44900-142400) with two years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered alongwith outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion and medical category shall be SHAPE-1 and qualified in mandatory pre promotion training of minimum two to four weeks or as prescribed by the Force from time to time.

Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same of some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed not exceed three years.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Ex-servicemen :Re-employment:

The armed Force Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms. The candidate shall be in medical category SHAPE-1.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Brigadier Personnel Assam Rifles - Chairman; 2. Colonel (Records), Assam Rifles - Member; 3. Staff Officer (Medical or Health) Assam Rifles of the rank of Commandant or Lieutenant Colonel - Member; 4. Staff Officer -1(Administration) Assam Rifles - Member;	Not applicable.

5. One officer of the rank of Deputy Commandant or Major	– Member;
---	-----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Subedar (Pharmacist).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non –Gazetted, Non- Ministerial	Level-7 in the pay matrix.(44900- 142400)	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion falling which by deputation.

(11)
Promotion: From amongst Naib Subedar (Pharmacist) of the Assam Rifles in level-6 in the pay matrix (35400-112400) with five years regular service in the grade, medical category SHAPE-1, and who successfully pre-promotional course or courses as prescribed by the Assam Rifles time to time. Note:- Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officer of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department: or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department: and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :- (i) Bachelor degree in Pharmacy from a recognised university and recognised institute; and (ii) two years' experience in relevant field. Note1.-The department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same of some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Additional Director General, Assam Rifles - Chairman; 2. Colonel (Records), Assam Rifles - Member; 3. Colonel Medical, Assam Rifles - Member; 4. Staff Officer -1(Medical) Assam Rifles - Member;	Not applicable.

5. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant	– Member;
--	-----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Naib Subedar (Pharmacist).	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 6 in the pay matrix (35400-112400)	Selection	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years	By Promotion

(11)

Promotion:

From amongst members of Assam Rifles holding the rank of Warrant Officer (Pharmacist) in pay level -5 in the pay matrix (Rs.29200-92300), with six years' regular service in the grade medical category must be SHAPE-1 and must qualified mandatory pre promotional training of minimum of two to four weeks or as prescribed by the Force from time to time.

Note:- Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Director General, Assam Rifles – Chairman; 2. Colonel (Records), Assam Rifles – Member; 3. Staff Officer -1(Administration) Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel – Member; 4. One Medical, Assam Rifles of the rank of Commandant or Second-in-Command – Member; 5. Two Officers of, Assam Rifles not below the rank of Subedar level-7 one belonging to the Scheduled Caste and one belonging to the Scheduled Tribe – Member;	Not applicable.

Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Brigadier Personnel, Assam Rifles – Chairman; 2. Colonel (Records), Assam Rifles – Member; 3. Staff Officer -1(Administration) Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel – Member;	
--	--

4. One Medical Officer, Assam Rifles of the rank of Commandant or Second-in-Command	—Member;	
5. Two Officers of, Assam Rifles not below the rank of Subedar level-7 (Rs. 44900-142400) one belonging to the Scheduled Caste and one belonging to the Scheduled Tribe	— Member;	

[F. No. A/Pers/RRs/Gp'B'/Pharm/2017]

R. JOSESVASHUM, Under Secy.

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 185.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, डाटा प्रविष्टि अप्रेटर, ग्रेड 'ए' पद भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में डाटा प्रविष्टि अप्रेटर, ग्रेड 'ए' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, डाटा प्रविष्टि अप्रेटर, ग्रेड 'ए' भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर.**-उक्त पद/पदों की संख्या, उसका/उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका/उनका स्तर या वेतनमान वह होगा/वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**- उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता .-** वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है
उक्त पद/पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति .-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डाटा प्रविष्टि ऑपरेटरग्रेड, 'A'	*12 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500.- 81100 रु.)	लागू नहीं होता।	2 से 185 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के निर्णायक तारीख कर्मचार चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (ख) डाटा प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 कम से कम की डिप्रेषन प्रति घंटा की गति रखते हों। टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा (कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से)। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे:- 1. प्रधान सिस्टम विश्लेषक या उप निदेशक (प्रशासन) या पुलिस उप	लागू नहीं होता।

	महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो -अध्यक्ष; 2. अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग – सदस्य ; 3. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक या लेखा) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो – सदस्य ।	
--	---	--

[फा. सं. 213/1/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)**

New Delhi, the 19th November, 2025

G.S.R. 185.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Bureau of Investigation, Data Entry Operator, Grade ‘A’ posts, Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator, Grade ‘A’ in the Central Bureau of Investigation, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation, Data Entry Operator, Grade ‘A’ post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**- The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Data Entry Operator Grade— A.	* 12 (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 25 years of age (Relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(a) 12th class pass from a recognised board. (b) Possessing a speed of not less than 8000 Key depressions per hour for data entry work. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment (through the Staff Selection Commission) Note: -Vacancies caused by incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled, on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column number (7).

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for consideration of confirmation) consisting of :- 1. Principal System Analyst or Deputy Director (Administration) or Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation - Chairperson; 2. Under Secretary, Department of Personnel and Training - Member; 3. Administrative Officer (Personnel or Accounts), Central Bureau of Investigation - Member.	Not applicable.

[F. No. 213/1/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 186.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में नैदानिक भ्रूणविज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, नैदानिक भ्रूणविज्ञानी, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता**:- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नैदानिक भ्रूणविज्ञानी।	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये)।	लागू नहीं होता।	चालीस वर्ष से अधिक आयु नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में पाँच वर्ष तक शिथिल की सकती है)।

					टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वहा होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक भ्रूणविज्ञान (न्यूनतम चार सेमेस्टर के पूर्ण कालिक कार्यक्रम के साथ स्नातक) में स्नातकोत्तर के साथ मानव युग्मक एवं भ्रूणों के हथालन में मानव एआरटी प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी होल्डर का पूर्ण कालिक पीएचडी प्रोजेक्ट नैदानिक भ्रूणविज्ञान (पूर्ण कालिक प्रोग्राम) या सहायक रेप्रोडक्टिव प्रोद्योगिकी या फर्टिलिटी से संबंधित के साथ साथ मानव युग्मक एवं भ्रूणों के हथालन में मानव एआरटी प्रयोगशाला में दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक भ्रूणविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मेडिकल ग्रेजुएट(एमबीबीएस) या वेटेरिनरी ग्रेजुएट(बीवीएससी) के साथ साथ मानव युग्मक एवं भ्रूणों के हथालन में एआरटी प्रयोगशाला में तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए; या पंजीकृत एआरटी लेवल 2 नैदानिक में मानव युग्मकों एवं भ्रूणों के हथालन में चार वर्षों के अनुभव के अतिरिक्त जीव विज्ञान या बायोटेक्नॉलजी में स्नातकोत्तर सहित कार्य-स्थल पर न्यूनतम एक वर्ष का पूर्ण कालिक नैदानिक भ्रूणविज्ञान प्रमाणित प्रशिक्षण। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के	लागू नहीं होता।	एक वर्ष सीधी भर्ती के लिए। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है)/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा शामिल है/ आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500/- रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से

विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।				ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3:- केवल केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।				भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)				(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; 2. संबंधित विभाग के प्रमुख, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य; 3. निदेशक (सम्बंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।				सीधे भर्ती किए जाने की दशा में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/23/2024-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th November, 2025

G.S.R. 186.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Clinical Embryologist in the Ministry of Health and Family welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Clinical Embryologist, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Clinical Embryologist.	02* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.	Not exceeding forty years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Post-graduate in clinical embryology (graduated with full time program with minimum four semesters) from a recognised University with one year human ART laboratory experiences in handling human gametes and embryos; or Ph.D. holder full-time Ph.D. project shall be related to Clinical Embryology or assisted reproductive technology or fertility from a recognised University with two years of human ART laboratory experience in handling human gametes and embryos; or Medical graduate (MBBS) or Veterinary graduate (BVSc) with a post-graduate degree in Clinical	Not applicable.	One year for direct recruits. Note: There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Deputation (including Short-term Contract)/ absorption, failing which by direct recruitment.

Embryology (full-time program) from a recognised University with three years of ART laboratory experience in handling human gametes and embryos; or Post-graduate in life sciences or Biotechnology with a minimum of one year of on-site, fulltime clinical embryology certified training with four years' experience in handling human gametes and embryos in a registered ART level 2 clinic. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers under the Central Government or State Government or Union territory administrations or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not	Group 'A' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent (concerned), Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; 2. Head of the Department (concerned), Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member; 3. Director Administration (Concerned), in Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary in case of direct recruitment.

exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: Only Central Government or State Government or Union territories employees shall be considered for absorption basis.

[F. No. A-12018/23/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 187.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध संग्रहालय अध्यक्ष, तकनीशियन सिने-तकनीशियन, सहायक सिने-तकनीशियन, संग्रहालय सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, में संग्रहालय निरीक्षक, तकनीशियन सिने तकनीशियन, सहायक सिने तकनीशियन, संग्रहालय सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, संग्रहालय अध्यक्ष, तकनीशियन सिने-तकनीशियन, सहायक सिने-तकनीशियन, संग्रहालय सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2022 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता: ऐसा व्यक्ति -**
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके इन नियमों कि बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संग्रहालय अध्यक्ष	01(एक) (2022)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपित्रत अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर - 5 (पाँच) (29200-92300 रुपए)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	(i) ऐसे तकनीशियन सिने - तकनीशियन से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने वेतन	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता -अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

		मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा (क) जो केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में अगले निम्न वेतन स्तर -4 (25500-81100 रुपये) में नियमित आधार पर पाँच वर्ष की अहर्क सेवा की हो।	2. निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित किया जाने वाला एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य; 3. आचार्य (जन स्वास्थ्य उपचर्या), अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता —सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता —सदस्य;	
--	--	---	--	--

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीशियन सिने - तकनीशियन	02 (2022)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपित्रत अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर - 4 (चार) (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	(1) सिने-तकनीशियन में से प्रोन्नति, जिन्होंने उस वेतन स्तर में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो, या (2) ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा (क) जो केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रुपये) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या (ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 3 (21,700-69,100 रुपये) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो। और साथ में (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में बारहवीं उत्तीर्ण या	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष; 2. निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित किया जाने वाला एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य; 3. आचार्य (जन स्वास्थ्य उपचर्या) अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - सदस्य;	लागू नहीं होता।

			समतुल्य अहर्ता रखते हो। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑडियो-विजुअल उपकरणों के उपयोग एवं रख-रखाव में एक वर्ष का अनुभव रखते हो।		
--	--	--	---	--	--

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक सिने तकनीशियन	2 (2022)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपित्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर - 2 (दो) (19900-63200 रुपए)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति और चंबा जिले का पांगी उपमंडल, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। रोजगार कार्यालय के माध्यम से पद पर नियुक्ति के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों के साथ बारहवीं उत्तीर्ण या समतुल्य। (ii) ऑडियो-विजुअल उपकरणों के उपयोग और रख-रखाव का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अहर्ताएँ अन्यथा अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने की लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।	ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा- (i) जो केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200 रुपये) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18000-56900 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा की हो। और साथ में (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ दसवीं उत्तीर्ण या समतुल्य हो, और (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑडियो - विजुअल उपकरणों के उपयोग और रख - रखाव में एक वर्ष का अनुभव हो।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष; 2. निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित किया जाने वाला एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य; 3. आचार्य (जन स्वास्थ्य उपचर्या), अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता -सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - सदस्य;	लागू नहीं होता।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संग्रहालय सहायक	01 (एक) (2022)*	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर - 2	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार)	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों के साथ बारहवीं

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अराजपित्रत अननुसचिवीय	(दो) (19900-63200 रुपए)	सरकारी सेवको के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति और चंबा जिले का पांगी उपमंडल, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। रोजगार कार्यालय के माध्यम से पद पर नियुक्ति के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	उत्तीर्ण या समतुल्य अहर्ता। (ii) किसी मान्यता प्राप्त कला और शिल्प महाविद्यालय से ललित कला या वाणिज्यिक कला या ऑडियो विजुअल या समतुल्य में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जाती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	-----------------------	----------------------------	---	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।	ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा - (i) जो केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200 रुपये) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए	1. विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से बनेगी :- अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष; 2. निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा	लागू नहीं होता।

			हुए हों; या (ii) जिन्होंने वेतन मट्रिक्स में स्तर -1 (18000-56900 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा प्रदान की हो। और साथ में (क) विज्ञान विषयों के साथ दसवीं उत्तीर्ण या समकक्ष अहर्ता रखते हों (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ललित कला या वाणिज्यिक कला या ऑडियो - विजुअल या समतुल्य में एक वर्ष का अनुभव रखते हों।	नामित किया जाने वाला एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य; 3. आचार्य (जन स्वास्थ्य उपचर्या), अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता -सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान. कोलकाता - सदस्य;	
--	--	--	--	---	--

[फा. सं. ए-60011/06/2018-एमई/प्रशि.]

आर. के. मिश्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 1st July, 2025

G.S.R. 187.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group 'C') Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the post of Museum Curator, Technician Cine-Technician, Assistant Cine-Technician, Museum Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Museum Curator, Technician Cine-Technician, Assistant Cine-Technician, Museum Assistant in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata Museum Curator, Technician Cine-Technician, Assistant Cine-Technician, Museum Assistant (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix	Whether Selection post or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Museum Curator	01 One (2022)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Level-5(five) in the Pay Matrix (Rs.29200-92300)	Not applicable.	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable	by promotion failing which by deputation.	(i) by promotion from Technician Cine-Technician with five years regular service in the pay level-4 (Rs.25500-81100) in pay matrix failing which by deputation from official (a) holding analogous post in the Central Government/State Government on regular basis in the pay level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix, or (b) Officials working in the next lower pay level-4 (Rs. 25500-81100) in pay matrix with five years qualifying service on regular basis.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata – Chairman; 2. One Group 'A' officer to be nominated by the Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata –Member; 3. Assistant Professor of Public Health Nursing, All India institute of Hygiene and Public Health, Kolkata –Member;	Not applicable.

				4. Administrative Officer All India institute of Hygiene and Public Health, Kolkata -Member.	
--	--	--	--	--	--

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix	Whether Selection post or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Technician Cine- Technician	02 (2022)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial	Level-4 (Four) in the Pay Matrix (Rs.25500-81100)	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable	by promotion failing which by deputation (including short term contract).	(i) promotion from Assistant Cine Technician with eight years regular service in the pay level, or (2) By deputation (including short term contract) from officials (a) holding analogous post on regular basis in the Central Government or State Government in the level-4 (Rs. 25500-81100) in pay matrix, or	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Additional Director – All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata – Chairman; 2. One Group 'A' officer to be nominated by the Director, All	Not Applicable.

			(b) with 5 years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-3 (Rs.21700-69100) in pay matrix with (i) 12th pass in science subjects or Equivalent Qualification from a recognised Board or University and (ii) One year experience in the use and maintenance of Audio-visual equipments from a recognised institute.	India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata – Member; 3. Professor of Health promotion and Education, All India institute of Hygiene and Public Health, Kolkata –Member; 4. Administrative Officer, All India institute of Hygiene and Public Health, Kolkata –Member.	
--	--	--	--	---	--

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix	Whether Selection post or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Assistant cine-Technician	02(2022)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Level-2 (Two) in the Pay Matrix (Rs.19900-63200)	Not applicable.	Between 18 year and 27 years (relaxable for the Government servants up to 40 Years in accordance with the instructions or orders issued by the central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti district and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal	1. 12th class pass in science subjects or equivalent qualification from a recognised Board or University. 2. One-year experience in the use and maintenance of Audio-visual equipments. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of Candidates, belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the staff Selection Commission or

					Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). In respect of the post, the appointment to which is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 Years	by direct recruitment failing which by deputation (including short term contract).	by deputation (including short term contract) from officials (i) Holding analogous post on regular basis in the Central Government/State Government in the pay level-2 (Rs.19900-63200) in pay matrix, or (ii) With 3years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-1 (Rs.18000-56900) in pay matrix with (a) 10 th pass in science subjects or Equivalent Qualification from a recognised Board and (b) One year experience in the use and maintenance of Audio-visual equipments	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata – Chairman; 2. One Group 'A' officer to be nominated by the Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata –Member; 3. Professor of Health promotion and Education, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata –Member;	Not applicable.

			from a recognised institute.	4. Administrative Officer, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata -Member.	
--	--	--	------------------------------	---	--

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix	Whether Selection post or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Museum Assistant	01(One) (2022) * *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Level-2 (Two) in the pay matrix (Rs.19900-63200)	Not applicable.	Between 18 year and 27 years (relaxable for the Government servants up to 40 Years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti district and Pangl Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). In respect of the	(i) 12 th pass with science or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) Diploma from any recognised College of Arts and crafts in Fine Arts or Commercial Arts or audio visual or equivalent from any recognized Institution. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of Candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of

					post, the appointment to which is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 Years	by direct recruitment failing which by deputation (including short term contract).	by deputation (including short term contract) from officials (i) Holding analogous post on regular basis in the Central Government/State Government in the pay level-2 (Rs.19900-63200) in pay matrix, or (ii) with 3 years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-1 (Rs.18000-56900) in pay matrix with (a) 10 th pass in science subjects or Equivalent qualification. (b) One year experience in Fine Arts of	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Director – All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata – Chairman; 2. One Group 'A' officer to be nominated by the Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata –Member;	Not applicable.

			Commercial Audio-visual equipments from any institute.	Arts or equipments recognised	3. Professor of Health Promotion and Education, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata —Member; 4. Administrative Officer, All India institute of Hygiene and Public Health, Kolkata —Member.	
--	--	--	--	-------------------------------	--	--

[F. No. A- 60011/06/2018-ME/Trg.]

R. K. MISHRA, Under Secy.